आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग (शासन स्तर)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का गठन वर्ष 1994 में किया गया था। लोक भवन सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ के प्रथम तल, सी-ब्लाक, कक्ष संख्या-107/108 में विभाग के अपर मुख्य सचिव; सप्तम तल, सी-ब्लाक, कक्ष संख्या-722 में विभाग के विशेष सचिव तथा कक्ष संख्या-726 एवं 727 में विभागीय अनुभाग के कार्यालय स्थापित हैं।

कार्य दिवस	-	सोमवार से शुक्रवार (अवकाश दिवस को छोड़कर)
कार्यालय समय	-	प्रातः 9:30 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक
आई.टी विभाग की वेबसाइट	-	**http://upite.gov.in**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा- 4(1)(बी) के अन्तर्गत आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से संबंधित 16 सूचनाओं की श्रेणी के संबंध में

बिन्दु (i) <u>लोक प्राधिकरण विशिष्टियॉं कृत्य एवं कर्तव्य</u> :

(अ) <u>विशिष्टियां</u> : आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन से संबधित कार्य करना।
2. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रिया को निर्धारित करना।
3. राज्य में ई-गवर्नेन्स प्लान का क्रियान्वयन करना।
4. प्रदेश में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 निर्गत की गई है तथा साथ ही उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग पालिसी 2014 पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी है।

(ब) <u>कृत्य एवं कर्तव्य</u> :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन से सम्बंधित कार्य।
2. सूचना प्रौद्योगिकी सशक्त सेवाओं को जनसाधारण तक पहुॅंचाना।
3. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार व जनसाधारण के बीच संवाद।
4. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवस्थापना सूचना उपलब्ध कराया जाना, जो विकास की गति में सहायक हो।
5. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना।
6. स्कूल, विद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की गति प्रदान करना/बढ़ाना।
7. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यों में सरलता लाकर मानव शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि लाना।
8. साफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा सेवा प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि किया जाना।
9. नागरिक चार्टर के अनुश्रवण संबंधी कार्य।

(स) आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है-

अपर मुख्य सचिव
।
विशेष सचिव
।
संयुक्त सचिव
।
उप सचिव
।
अनु सचिव
।
अधीनस्थ स्टाफ

(द) आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में दो अनुभाग हैं, जिनको आवंटित कार्य निम्न प्रकार हैंः-

1. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 :-

1. उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स निगम लि. का शासन स्तरीय समस्त कार्य।
2. साफ्ट्वेयर टेक्नोलोजी पार्क/स्मार्ट सिटी इन्फोटेक पार्क से संबंधित कार्य।
3. आई.टी. क्षेत्र की नई परियोजनायें।
4. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का पूंजी निवेश।
5. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स की इकाइयों को मार्जिन मनी/ सब्सीडी/ वेवर कैपिटल/ वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करना।
6. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों, रूग्ण/बन्द इकाइयों का पुनर्वासन।
7. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन।
8. प्रदेश में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को बढ़ावा देना।
9. प्रदेश में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की सम्भावनाओं का प्रचार एवं प्रसार।
10. प्रदेश में आई.टी. इनेबिल्ड सविसेज़ के प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
11. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु आई.एस.ओ. 9000 एवं साफ्ट्वेयर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
12. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु सिंगल टेबिल कार्य प्रणाली लागू करना।
13. प्रदेश में ई-मेल व ई-कामर्स आदि पढ़ाने हेतु इन्फार्मेशन सुपरवाइज़र बनाने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
14. आई.टी. डेस्टिनेशन के रूप में उ.प्र. की इमेज बिल्डिंग एवं इस हेतु पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु प्रदेशों में डेलीगेशन ले जाना।
15. विभिन्न उद्यमी संगठन जैसे नैसकॉम, मेट, ई.एस.बी. आदि से समन्वय/एम.ओ.यू.।
16. अपट्रान इण्डिया लि. कार्मिकों का विभिन्न शासकीय विभागों में समायोजन/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना/अपट्रान के संबंध में निर्णय।
17. प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर केबिल नेटवर्क की स्थापना।
18. प्रदेश में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग योजना का क्रियान्वयन।
19. इन्टरनेट वेबसाइट तथा साफ्ट्वेयर का विकास/ विभागीय वेबसाइट का विकास।
20. मुख्यमंत्री संदर्भ/भारत सरकार के संदर्भ/मुख्य सचिव संदर्भ।

21. आयोजनागत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों के संबंध में नियोजन विभाग में आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों के संबंध में कार्यवाही।
22. मासिक अर्द्धशासकीय पत्रों (एम.डी.ओ.) का प्रेषण।
23. मासिक विभागीय प्राथमिकताओं का निर्धारण व उनकी प्रगति से अवगत कराने की कार्यवाही।
24. विभिन्न परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाना व भारत सरकार में लम्बित विभागीय परियोजनाओं के संबंध में सूचनाओं का प्रेषण।

2. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 :-

1. उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लि. का शासन स्तरीय समस्त कार्य।
2. विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों आदि में कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
3. प्रदेश में विभिन्न नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण करके उनको आपस में जोड़ना।
4. प्रदेश में सारे सरकारी कार्यालयों में शनैः शनैः इन्टरनेट की व्यवस्था करना।
5. विभिन्न शासकीय विभागों के आन्तरिक प्रबन्धन एवं जनता से सूचना का आदान प्रदान करने को सुलभ बनाने हेतु साफ्टवेयर विकसित करना तथा उसका उपभोग।
6. प्रदेश में इन्फार्मेशन कियोस्कों का विकास।
7. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के लिए रेट कान्ट्रेक्ट जारी करना तथा क्रय नीति का निर्धारण।
8. प्रदेश में इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी एवं इलेक्ट्रानिक्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्धारण।
9. आई.टी. उद्योग के प्रसार हेतु प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों और साफ्ट्वेयर टेक्नोलोजी पार्कों में समन्वय स्थापित करना।
10. प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन स्थापित कराना।
11. प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी की स्थापना।
12. प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु संस्था तैयार करना।
13. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
14. प्रदेश में कम्प्यूटर की डिस्टेन्स लर्निंग व्यवस्था।
15. प्रदेश हेतु घोषित यू.पी. इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी एण्ड स्टार्ट अप पॉलिसी 2016 का क्रियान्वयन करना तथा आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संबंध में आई.टी. मिशन का क्रियान्वयन करना।
16. विधान सभा/विधान परिषद/राज्य सभा/लोक सभा प्रश्न से संबंधित समस्त कार्य तथा विनियमीकरण समिति के कार्य।
17. मा राज्यपाल/मा. वित्त मंत्री/मा. मंत्री जी के बजट भाषण।
18. मुख्यमंत्री संदर्भ/भारत सरकार/संसदों/विधायकों के लम्बित संदर्भों के समन्वय का कार्य।
19. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के बजट समन्वय संबंधी समस्त कार्य।
20. उ.प्र. जगद्गुरू विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना व अन्य संबंधित समस्त कार्य।
21. आई.टी. एडवाइज़री ग्रुप की बैठकों का आयोजन व उनमें लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।
22. आई.टी. स्टेरिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन व उनमें लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।
23. आई.टी. विज़न ग्रुप की बैठकों का आयोजन व उनमें लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।

24. विभागीय नीति निर्धारण सेल की बैठकों का आयोजन व उनमें लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।

बिन्दु (ii) आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकरियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्य :

शक्तियॉ

शक्तियॉ	प्रशासकीय	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन निम्न संस्थाओं पर प्रशासकीय नियंत्रण है:- 1. उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लि. (यूपीडेस्को) 2. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि. (यूपीएलसी) 3. अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लि. 4. श्रीट्रान इण्डिया लि. 5. ई-सुविधा 6. सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.)
	वित्तीय	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन निम्न संस्थाओं पर वित्तीय नियंत्रण है:- 1. उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लि. (यूपीडेस्को) 2. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि. (यूपीएलसी) 3. अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लि. 4. श्रीट्रान इण्डिया लि. 5. ई-सुविधा 6. सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.)

निर्णय स्तर

अनुभाग	प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर
1. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 एवं 2	अनु सचिव, उप सचिव, अनुभाग 1 एवं 2 के समस्त कार्य	संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, अपर मुख्य सचिव

समीक्षा अधिकारी द्वारा पत्रावली अनुभाग अधिकारी को, अनुभाग अधिकारी द्वारा पत्रावली अनुसचिव/उप सचिव को एवं इस क्रम में आगे प्रस्तुत की जाती है। दो सहायक समीक्षा अधिकारी द्वारा पंजीपाल का कार्य भी किया जाता है।

बिन्दु (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन किए जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं :

सचिवालय मैनुअल, उ.प्र. कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत, आवंटित कार्य के अनुसार यथा आवश्यकता विनिश्चय करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

विभागीय मंत्री

।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

।

अपर मुख्य सचिव

।

विशेष सचिव

।

संयुक्त सचिव

।

उप सचिव

।

अनु सचिव

बिन्दु (iv) अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धरित मापमान :

समीक्षा अधिकारी	-	7.5 रसीद प्रतिदिन
संदर्भदाता	-	20-30 रसीद प्रतिदिन
रजिस्टर कीपर	-	35-40 रसीद प्रतिदिन
टंकक	-	4400 शब्द प्रतिदिन

बिन्दु (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका या अभिलेख :

विभाग में अभिलेखों के रूप में शासनादेश, पत्रावलियॉ, पंजीकाएं तथा रिपोर्ट्स हैं।

बिन्दु (vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा नियंत्रण में हैं :

क्रमांक	दस्तावेजों की श्रेणी	अभ्युक्ति
1.	सूचना का अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र	
2.	पत्रावलियॉ	
3.	पंजिकाएं	
4.	रिपोर्ट्स	

बिन्दु (vii) लोक प्राधिकरण में नीति निर्धारण अथवा उसके क्रियान्वयन हेतु जनप्रतिनिधियों से लिये जाने वाले परामर्श अथवा उनके द्वारा दिये जाने वाले अभ्यावेदन की व्यवस्था का विवरण :

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को आवंटित किया जाने वाला कार्य इस प्रकृति का नहीं है, जिसमें इनकी आवश्यकता पड़ती हो।

बिन्दु (viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों, और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं :

क्रमांक	निकाय एवं समिति	अभ्युक्ति
1.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंन्ट सिस्ट्म्स कारपोरेशन लि. (यूपीडेस्को)	1. उक्त समिति एवं निकायों की बैठक जनसामान्य के लिए खुली नहीं है। 2. बैठक के कार्यवृत्त सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
2.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. (यूपीएलसी)	
3.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0	
4.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड	
5.	ई–सुविधा	
6.	सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स (सी.ई.जी.)	

बिन्दु **(ix)** <u>लोक प्राधिकरण में तैनात आधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदर्शिनी</u> :

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदर्शिनी निम्नानुसार हैः–

मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	कार्यालय टेलीफोन नं.	आवासीय पता
राज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	कार्यालय टेलीफोन नं	आवासीय पता

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय टेलीफोन नं. (0522)	आवासीय पता
1.	अपर मुख्य सचिव	2238669,2289316	
2.	विशेष सचिव	2235935,2215556	
3.	विशेष सचिव	2238665 मो.9454412295	
4.	उप सचिव	रिक्त	
5.	अनु सचिव	2215104 मो.9454413655	
<u>अनुभाग–1</u>			
6.	अनुभाग अधिकारी	2226441 मो.9454412550	
<u>अनुभाग–2</u>			
7.	अनुभाग अधिकारी	2226442 मो.9454411599	

बिन्दु **(x)** आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारितोषिक का विवरण :

क्र. सं.	पदनाम	
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव	-
2.	विशेष सचिव	-
3.	विशेष सचिव	-
4.	उप सचिव	-
5.	अनु सचिव	-
अनुभाग-1		
5.	अनुभाग अधिकारी	-
अनुभाग-2		
6.	अनुभाग अधिकारी	-

बिन्दु **(xi)** लोक प्राधिकरण व उसके अन्तर्गत स्थापित विभिन्न उपक्रमों का बजट विवरण :

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा अनुदान के माध्यम से विभागीय बजट प्राविधान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	योजना का नाम (राज्य बजट लेखाशीर्षक सहित)	बजट प्राविधान (लाख रु. में)
	राजस्व लेखा	
1.	2220-सूचना तथा प्रसार-03-व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार-42-अन्य व्यय	50.00
2.	2852-उद्योग-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण- 42-अन्य व्यय	2.18
3.	2852-उद्योग-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	128.30
4.	2852-उद्योग-05 इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप के लिए प्रारम्भिक निधि (सीड फण्ड)-42-अन्य व्यय	500.00
5.	2852-उद्योग-07-मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय	2640.92
6.	2852-उद्योग-14-उ.प्र.स्टार्ट-अप नीति 2020 का कार्यान्वयन -27-सब्सिडी	500.00

7.	2852-उद्योग-17-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी	2000.00
8.	2852-उद्योग-20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन -27-सब्सिडी	5000.00
9	2852-उद्योग-21-आई.टी. पूल फण्ड की स्थापना-42-अन्य व्यय	250.00
10	2852-उद्योग-25-यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यू.पी.स्वान- 2) -42-अन्य व्यय	6180.00
11	2852-उद्योग-27-शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था-42-अन्य व्यय	200.00
12	2852-उद्योग-29-वेबसाइट का सिक्योरिटी आडिट एवं अनुरक्षण-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.98
13	2852-उद्योग-31- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल-3101-पोर्टल पर उपलब्ध शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी आडिट-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
14	2852-उद्योग-31- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल-3101-पोर्टल पर उपलब्ध शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी आडिट-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
15	2852-उद्योग-11-उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42-अन्य व्यय	400.00
16	2852-उद्योग-17-स्टेट डाटा सेन्टर-42-अन्य व्यय	4300.00
17	2852-उद्योग-23-उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2020 का कार्यान्वयन -27- सब्सिडी	500.00
	योग -राजस्व लेखा	**22853.38**
	पूँजी लेखा	
1	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-10-साफ्टवेयर टैक्नालॉजी पार्क की स्थापना- 24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
2	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-11-इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
3	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-14-लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना-24- वृहत् निर्माण	300.00
4	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-16-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था-42-अन्य व्यय	500.00
	योग - पूँजी लेखा	2300.00
	कुल योग राजस्व एवं पूँजी लेखा - आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	**25153.38**

बिन्दु (xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में कोई भी सहायिकी कार्यक्रम नहीं चलाये जा रहे हैं।

बिन्दु (xiii) लोक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण :

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा रियायतें/परमिट से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं व्यवहृत किया जाता है।

बिन्दु (xiv) लोक प्राधिकरण में इलेक्ट्रानिक के रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

विभागीय सूचना वेबसाईट http//upite.gov.in/ पर उपलब्ध है।

बिन्दु (xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं :

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को आवंटित कार्य इस प्रकृति का नहीं है, जिसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है।

बिन्दु (xvi) लोक प्राधिकरण में नामित जन सूचना अधिकारी का विवरण :

अनुभाग	जन सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय पता
1	रिक्त	अनुभाग अधिकारी, आई.टी. अनुभाग-1	कमरा नं.-726, सी-ब्लाक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। टेलीफोन नं.-0522-2226441
2	श्री विश्वभान प्रकाश नागेश	अनुभाग अधिकारी, आई.टी. अनुभाग-2	कमरा नं.-726, सी-ब्लाक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। टेलीफोन नं.- 0522-2226442 मोबाईल नं.- 9454411599

अनुभाग	अपीलीय जन सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय पता
1	श्री बराती लाल	विशेष सचिव	कमरा नं.-702, सी-ब्लाक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। टेलीफोन नं. - 2238665 मोबाइल नं. - 9454412295, 9454412295

2	श्री बराती लाल	विशेष सचिव	कमरा नं.-702, सी-ब्लाक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। टेलीफोन नं. - 2238665 मोबाइल नं. - 9454412295, 9454412295

बिन्दु **(xvii)** अन्य विवरण :

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन			माह में प्राप्त विचाराधीन आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		
			30 दिन के अन्दर के	30 दिन के ऊपर	योग				30 दिन के अन्दर के	30 दिन के ऊपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आई.टी.	रिक्त	-	-	-	03	03	03	-	-	-
2	आई.टी.	वी.पी.नागेश	02	05	07	02	09	09	-	-	-

प्रस्तुत अपीलों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन			माह में प्राप्त विचाराधीन आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		
			30 दिन के अन्दर के	30 दिन के ऊपर	योग				30 दिन के अन्दर के	30 दिन के ऊपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आई.टी.	रिक्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आई.टी.	वी.पी.नागेश	01	02	03	-	03	03	-	-	-